जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 98/2017 अनवानी नौरंग राम पुत्र भिराज जाति कुम्हार निवसी ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर बनाम 1–चुनीराम पुत्र भिराज जाति कुम्हार निवासी 11 एलएनपी ख्यालीवाला तहसील श्रीगंगानगर 2–उपजिलाधीश श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3
1

16.10.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह खुराना उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह खुराना का कथन है कि प्रार्थी ने उपजिलाधीश श्रीगंगानगर को दिनांक 12.04.2016 को एक प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ पेश किया कि उसने दिनांक 12.12.12 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट सं0 285/03 विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए चक 16 एमएल तहसील श्रीगंगानगर में भूमि आवंटन के लिए पेश किया था और बाद में रिट का निर्णय हो जाने के कारण आवंटन हेतु आदेश पारित करने के लिए प्रार्थना की गयी। जिस पर प्रकरण संख्या 2/16 चुनीलाल बनाम सरकार दर्ज होकर कार्यवाही शुरू की गयी और गत पेशी 3.10.17 को अप्रार्थी सं0 1 चुनी राम ने गांव में ऐलानिया कहा कि उसने पीठासीन अधिकारी से पटवारी के मार्फत बात कर ली है और इसलिए फैसला उसके पक्ष में होगा और उस दिन पेशी पर कृष्ण पुत्र चुनीलाल भी आया हुआ था और आवाज लगाने पर जब पेश हुए तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई है जिसके अनुसार चुनीलाल के पक्ष में मामला बनता है तथा बड़ी मुश्किल से आगामी तारीख पेशी 10.10.17 दी गयी। उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 3.10.17 को चुनीलाल ने गांव में ऐलानिया कहा कि उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गयी है और फैसला उसके पक्ष में ही होगा। पीठासीन अधिकारी के उक्त पक्षपातपूर्ण रवैया को देखते हुए उन्हे पूर्ण विश्वास है कि उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त रास्ता प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी के मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं साथ में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उसका भूमि आवंटन संबंधी प्रा0 पत्र दिनांक 12.04.16 के आधार पर चुनीलाल बनाम सरकार के नाम से प्रकरण सं0 2/2016 दर्ज होकर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी ने उक्त लंबित प्रकरण को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 1 चुनीलाल ने पटवारी के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी को अप्रोच करवाई है और पीठासीन अधिकारी उनके प्रभाव में है जिस कारण उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर